6/16.

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर-भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)मुख्य/विधि/16/ 2308-2322 दिनांकः 26-10-16.

समस्त
उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक,
राजस्थान

परिपत्र

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम-1998 की धारा 35, 37, 51, 53 व 55 में मुद्रांक प्रकरण दर्ज कर राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 64, 65, 66 एवं 67 में उनकी प्रकृति के अनुसार दस्तावेजों पर मुद्रांक कर निर्धारण करने के संबंध में निर्णय पारित करने के प्रावधान किये हुए है।

कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 65, 66 एवं 67 में दी गई निर्धारित प्रकिया को अपनाया जाकर 90 दिवस की अवधि में निर्णय पारित करना आवश्यक है।

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.7(482)मुख्य/विधि/16/485-656 दिनांक 30.3.16 के द्वारा वर्ष 2012-2013 तक के विचाराधीन समस्त मुद्रांक प्रकरणों का दिनांक 31.03.16 तक आवश्यक रुप से निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि यदि दिनांक 31.3.16 के पश्चात भी वर्ष 2012-13 तक का कोई मुद्रांक प्रकरण निर्णय होने से लम्बित होना पाया गया तो राज्य सरकार/विभागीय स्तर पर गभीरता से लिया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी मुद्रांक प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण नहीं किया जा रहा है। अतः उप महानिरीक्षणगण को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 65, 66, 67 के विधिक प्रावधानों के अनुसार मुद्रांक प्रकरण में संक्षिप्त जांच (Summary Enquiry) की कार्यवाही 90 दिवस में पूर्ण कर मुद्रांक प्रकरणों को निस्तारित किया जावें।

मुख्यालय के आदेश क्रमांक एफ.6(1)(11)निरी./2016/1784-2360 दिनांक 18.10.16 के द्वारा न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु 50 रेफरेन्स प्रतिमाह एवं 600 रेफरेन्स वार्षिक निस्तारित करने हेतु आपको भौतिक लक्ष्य दिया जा चुका है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 65, 66, 67 में निस्तारण हेतु दी गई 90 दिवस की अवधि में मुद्रांक प्रकरणों को निस्तारित करते हुए भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करावें। महालेखाकार के जांच दलों के आक्षेप के आधार पर दर्ज कराये गये एवं 3 वर्ष से अधिक अवधि के मुद्रांक प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता से निस्तारित करें तथा आपके यहां लम्बित मुद्रांक प्रकरणों के कारणों सहित स्थिति से अवगत करावें। उक्त निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में इस आशय की प्रविष्टि की जा सकती है। कृपया अवगत रहे।

26-10-2016

(नन्नूमल पहाडिया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ-7(482)मुख्य/विधि/16/ 2323-2823 दिनांकः 26-10-16.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
5. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
6. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
7. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
8. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
9. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, मुख्यालय, अजमेर को विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
10. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
11. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
12. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

सहायक विधि परामर्शी,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर